

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7.	परियोजना / स्कीम का स्थान	भा.रा.रा. संख्या 149ब चाम्पा—कोरबा—छुरी—कटघोरा सेक्शन के अन्तर्गत चाम्पा से उरगा (कि.मी. 0.000 से कि.मी. 38.150, पैकेज-1) के सड़क फोरलेन चौड़ीकरण हेतु कुल 4.493 हेक्ट. वनभूमि अपेक्षित है।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	जांजगीर—चाम्पा
(iii)	वन प्रभाग	चाम्पा वनमण्डल
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन	1.678 हेक्टेयर
(v)	वन कानूनी स्थिति	राजस्व वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम—कोसमंदा ख. नं. 892/1 रकबा 1.588 हेक्ट. एवं ग्राम—सिवनी ख.नं. 1321/1 रकबा 0.085 हेक्ट.)
(vi)	हरियाली का घनत्व	Blank (0 to 0.2)
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामा (संलग्न की जाये) सिचांई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.—2 मी. पर परिणामा और एफ.आर.एल.4 मी. भी संलग्न किये जाये।	वनस्पति जाति विवरण संलग्न है एवं प्राणी जात नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	आवश्यक नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वन सीमा से 20 कि.मी. दूरी पर है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	आवेदित क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव, अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व बांध, रिजर्व हाथी कारीडोर नहीं है। वर्तमान में या भवष्य में प्रस्तावित नहीं है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	आवेदित क्षेत्र में कोई वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि	कोई भी सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है। वचन पत्र संलग्न

	हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं/ प्रमाण पत्र संलग्न है।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	-
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भ-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया जावेगा।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया जावेगा।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	लागु नहीं है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	लागु नहीं है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जायें)	लागु नहीं है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें।)	संलग्न है।
12.	विभाग / जिला प्रोफाईल	संलग्न है।
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4466740 हेक्टर।
(ii)	जिले का वनक्षेत्र	25006.60 हेक्टर।

(iii)	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	232.894 हेक्ट.
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	लघु खनिज प्रयोजन कुल रकबा – 39.250 हेक्ट. वृहद खनिज प्रयोजना कुल रकबा खनिज प्रयोजना कुल रकबा (रेल्वे पाईप लाईन हेतु) – 3.979 हेक्ट. सिंचाई प्रयोजना कुल रकबा – 4.541 हेक्ट. विद्युत पावर प्रयोजना कुल रकबा 185.124 हेक्ट. कुल योग 232.894 हेक्ट. (प्रतिपूरक वनीकरण)
(v)	2015–2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	153.000 हेक्ट. नारंगी, 41.7999 गैर वन भूमि
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	संलग्न है।

दिनांक : 10-02-2020

स्थान : चाम्पा

वनमंडलाधिकारी
चाम्पा, वनमंडल चाम्पा